न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51/2018

अपीलार्थी–

1. नेमाराम पुत्र अमराराम
2. दुर्गाराम पुत्र धीराराम
3. रेवन्ती पुत्री अमराराम
   जाति कुम्हार निवासी
   ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील
   व जिला बाड़मेर
4. गेमराराम पुत्र आम्बाराम
5. अर्जुनराम पुत्र तगाराम
   जाति कुम्हार निवासी बोथिया
   जागीर तहसील व जिला
   बाड़मेर
6. रणजीताराम पुत्र अमराराम
7. गोरधनराम पुत्र अमराराम
8. चिमाराम पुत्र अमराराम
   जाति कुम्हार बिशाला तहसील
   व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.10.2018 जो प्रकरण सं. 02/2018 सरकार बनाम नेमाराम व अन्य मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बलराम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15/01/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा प्रकरण सं. 02/2018 मे पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का जालीपा ने दिनांक 01.02.2018 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालीपा के खसरा नम्बर 167 रकबा 09–02 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि मे से 01–00 बीघा भूमि पर गैर सायल नेमाराम व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान (अपीलांट्स) को सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.18 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांर्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि भादरेश स्थित पावर प्लांट हेतु अवाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजा राशि से मौजा जालीपा के खसरा नम्बर 169 मे से 16–00 बीघा भूमि अपीलार्थीगण सं. 1 से 5 व 10–00 बीघा भूमि अपीलार्थीगण सं. 6 से 8 द्वारा क्रय की गई। अपीलार्थीगण के द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण पारित हो जाने तथा रेकर्ड मे खातेदारी अमलदरामद होने के पश्चात भूमि एवं फसल की सुरक्षा हेतु चारदिवारी का निर्माण करवाया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि के पूर्व दिशा मे चारदिवारी का निर्माण किया गया है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा बिना माप एवं सीमांकन किये अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 167 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर चारदिवारी हटाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि मौके पर उक्त रास्ता खुला पड़ा है एवं चालू है, ऐसे मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किये गये आदेश मे महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भूमि के पैमाईश के समय अपीलार्थीगण को सूचित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नही किया एवं न ही अपीलांट की उपस्थिति मे कोई पैमाईश की गई है ऐसे मे एकतरफा कार्यवाही के आधार पर पारित किया गया आदेश सरासर विधि विरूद्ध है जो अपास्त योग्य है। इसके अलावा भी रेस्पोडेंट द्वारा शिकायतकर्ता के प्रभाव मे आकर पैमाईश की गई है जिसमे मुख्य आधार बिन्दु "क" निर्धारित किया गया है जबकि इस आधार बिन्दु को सही किस प्रकार माना गया है इस बाबत कोई विनिश्चय अंकित नही किया गया है। उक्त आधार बिन्दु वक्त सैटलमेंट निर्धारित नही था एवं न ही किसी राजस्व ग्राम की सीमा चिन्ह से पैमाईश कर निर्धारित किया गया है। ऐसे मे बिना किसी आधार बिन्दु के पैमाईश कर अपीलार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे को हटाया जाना कतई न्याय संगत नही है।

6. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सही पैमाईश एवं अवस्थिति ज्ञात करने एवं सीमांकन करने बाबत नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो अभी विचाराधीन है, ऐसे मे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व मौके से हटाये जाने पर अपूर्णीय क्षति होगी। यह भी प्रकट किया कि भूमि का वर्तमान सैटलमेंट जरीब से निर्धारित किया गया है जबकि रेस्पोडेंट तहसीलदार द्वारा भूमि की पैमाईश जीपीएस सिस्टम से की गई है जिसमे फर्क आना अवश्यम्भावी है तथा इस माप को आधार मानकर पारित आदेश कानूनी रूप से मान्य नही होने से अवैध है। अतः उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2018 को अपास्त फरमाया जावें।

7. रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण की भूमि की पैमाईश राजस्व विभाग की टीम के द्वारा करवाई गई है। मौके पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने हदूद से बढकर रास्ते के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। मौके पर जो रास्ता चालू है वह निजी खातेदारी की भूमि पर चालू है जिसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं मौके पर भौतिक कब्जे की पैमाईश करने पर रास्ते की भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना पाया गया है। वक्त पैमाईश अपीलार्थीगण को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं अपनी भूमि की पैमाईश के बाबत उज्रदारी पक्ष रखने का मौका दिया गया किन्तु वे जानबूझकर उपस्थित नही हुए तथा पैमाईश कार्य मे किसी प्रकार सहयोग नही किया गया। अपीलार्थीगण स्वंय इस बात से भली–भाँति जानते है कि उनके द्वारा रास्ते

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के भूमि पर पक्की चारदिवारी का निर्माण कर दिया है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु पारित किया गया अपीलाधीन आदेश किसी भी दशा मे गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध नही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी या वाक्याती भूल नही होने एवं प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

8. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा मौजा जालीपा के खसरा नम्बर 169 की भूमि मे से अलग–अलग दो बेचान के द्वारा भूमि क्रय कर मौके पर काबिज हुए तथा मौके पर भूमि के चारों ओर चारदिवारी का निर्माण करा लिया। अपीलार्थीगण के द्वारा क्रय की गई भूमि के पूर्व दिशा मे चालू गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 167 मौके पर भौतिक अवस्थिति के आधार पर अन्य स्थान पर चालू होने का फायदा उठाकर अपीलार्थीगण ने चालू रास्ता को ही वास्तविक अवस्थिति मानकर अपनी भूमि की सीमा निर्धारित कर चार दिवारी का निर्माण कर दिया। इसके पश्चात समीपस्थ भूमि के खातेदारान द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करने का निवेदन किये जाने पर गैर मुमकीन रास्ते की भूमि की अवस्थिति वर्तमान चालू स्थान से भिन्न जगह अपीलार्थीगण के कब्जे के अन्तर्गत पाई गई तथा इस आधार पर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थीगण को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थीगण का मुख्य आधार यह है कि भूमि की पैमाईश के मुख्य निर्धारण बिन्दु के अभाव मे की गई पैमाईश त्रुटिरहित होना नही माना जा सकता है। इसके अलावा अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि उनके द्वारा अपनी भूमि की नेखमबन्दी कराने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे भूमि की पैमाईश करने एवं नेखमबन्दी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। यहां अपीलार्थीगण का यह तथ्य स्वीकार योग्य नही है क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात बिना उसकी पैमाईश एवं नेखबन्दी कराये मौके पर चारदिवारी का निर्माण करवाया गया है जो राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई पैमाईश मे अतिक्रमण मे आ गया है। ऐसे मे यदि अपीलार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर नेखमबन्दी करवाते है उस स्थिति मे भी वर्तमान पैमाईश द्वारा निर्धारित बिन्दु ही आधार रहेगा जिसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया गया है। ऐसे मे अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner